पत्र संख्या-वि0(27) पे0को0-67/2016 756

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना दिनांक 24-10-2017

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी ।

विषय- **नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदान के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में ।**

प्रसंग- **वित्त विभागीय संकल्प सं0-622, दिनांक-28.08.2017**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-622, दिनांक-28.08.2017 द्वारा NPS से आच्छादित राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के अनुरूप ही दिनांक-01.09.2005 के प्रभाव से मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदान का लाभ प्रदान किया गया है । इसके भुगतान की प्रक्रिया के संदर्भ में मार्गदर्शन निर्गत किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । इस क्रम में NPS से आच्छादित राज्य कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदान के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(क) मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदान के भुगतान की प्रक्रिया वही होगी जो आज की तिथि में पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के लिए लागू है । सेवानिवृत कर्मी/उनके उत्तराधिकारी संलग्न विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-क) भरकर कार्यालय प्रधान को समर्पित करेंगे । कार्यालय प्रधान आवश्यक प्रविष्टियों को भरकर सेवा पुस्त के साथ इसे महालेखाकार बिहार को अग्रसारित करेंगे । सेवा पुस्त में सेवा सत्यापन एवं अन्य आवश्यक प्रविष्टियों की जाँच कर ली जायेगी ।

(ख) महालेखाकार, बिहार द्वारा मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदान के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा जो संबंधित कोषागार को संबोधित होगा तथा इसकी प्रति संबंधित कर्मी/उनके उत्तराधिकारी एवं प्रशासी विभाग को भी प्रेषित की जायेगी ।

(ग) भुगतेय राशि की गणना इसके लिए प्रचलित/लागू सूत्र के आलोक में की जायेगी जो संलग्न विहित प्रपत्र में अंकित है । सेवानिवृति एवं मृत्यु की स्थिति में उपदान राशि की गणना में क्रमशः संलग्न गणना तालिका की कंडिका-7 एवं 8 में अंकित सूत्र का अनुप्रयोग किया जायेगा ।

...2

(घ) सेवावधि की गणना छःमाही काल खण्डों के रूप में की जायेगी । इस हेतु तीन माह से कम की सेवावधि की गणना नहीं की जायेगी; लेकिन तीन माह या इससे अधिक की सेवावधि की गणना अगले छःमाही के रूप में की जायेगी ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(शिव शंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव ।

अनुलग्नक-क

नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को मृत्यु- सह-सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान हेतु प्रपत्र

1. (i) सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में)
   (ii)Name of Govt. Servant in English (in capital letters) -

2. (i) पिता/पति का नाम -
   (ii)Father's/Husband's Name (in capital letters) -

3. (i) स्थायी पता- डाकघर
   ग्राम/मोहल्ला जिला
   थाना पिनकोड
   (ii) Permanent Address**(in capital letters)** -
   Vill/Moh.- Post- P.S.-
   Distt.-
   State- Pin No.- Mobile No.

4. (i) पत्राचार का पता(हिन्दी में)-
   ग्राम/मोहल्ला- डाकघर- राज्य
   थाना- जिला-
   पिनकोड- Mobile No.-

   (ii) **Address for correspondence in English (in capital letters) :**
   Vill/Moh.- Post- P.S.- Distt.-
   State- Pin No.- Mobile No.-

5. (i) अंतिम पदस्थापन की स्थिति : पदनाम (हिन्दी में)-
   कार्यालय/विभाग का नाम (हिन्दी में)-

   (ii) Status of last posting: Designation (in English)-

   Name of Office/Department (in English)-

6. सेवा आरम्भ की तिथि-

7. (i) सेवा समाप्ति की तिथि-

   (ii) मृत्यु की तिथि (अगर सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त हुई हो):

8. कुल सेवा अवधि- वर्ष माह दिन

   व्यवधान की अवधि-

9. अंतिम वेतन-

10. औसत वेतन-

11. कोषागार का नाम-
(जहाँ से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं)

12. आवेदक की जन्म तिथि-
13. ऊँचाई-
14. पहचान चिन्ह-
15. सरकारी सेवक का मोबाईल नं0.-
16. सरकारी सेवक का यूनिक आई.डी.
(क) प्रान नं0. :
(ख) पैन नं0. :
(ग) आधार नं0. :
(घ) ई-मेल :

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

फोटोग्राफ

नोट :- (i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संयुक्त फोटोग्राफ ।
(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ ।

परिवार के सदस्यों का विवरण-

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

आवेदक का हस्ताक्षर

सरकारी सेवक (मृत सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1.

2.

3.

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

(अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा मुहर

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपने सेवा के किसी भाग के संबंध में जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में उपदान का दावा इसमें किया गया है, मैंने पूर्व में इसके लिए न तो आवेदन दिया है और न इसे प्राप्त किया है तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए आदेश का हवाला दिए बिना आवेदन नहीं करूँगा ।

2. यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन दोष संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या साईकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा ।

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

गणना तालिका

1. सेवा निवृत्त/ मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पदनामः-
2. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि :-
3. सेवा निवृत्ति/ मृत्यु की तिथि :-
4. सेवा की कुल अवधिः- वर्ष माह दिन
5. अन्तिम वेतन :-
6. औसत वेतन :-

7. उपदान की राशिः-

$$\frac{\text{(अंतिम वेतन+महँगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि}}{4}$$

8. मृत्यु उपदान :-
   - (क) एक वर्ष से कम की सेवा - परिलब्धि का दो गुणा
   - (ख) एक वर्ष या अधिक तथा पाँच वर्ष से कम - परिलब्धि का छः गुणा
   - (ग) पाँच वर्ष या अधिक तथा बीस वर्ष से कम- परिलब्धि का बारह गुणा
   - (घ) बीस वर्ष या अधिक -

$$\frac{\text{(अंतिम वेतन+महँगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि}}{2}$$

नोटः- मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा निम्नवत होगीः-

सेवा निवृति/मृत्यु की तिथि-	अधिकतम सीमा
(i) 01.09.2005 से 31.03.2007 तक-	रू0 3.50 लाख
(ii) 01.04.2007 से 31.3.2017 तक-	रू0 10 लाख
(iii) 01.04.2017 के बाद-	रू0 20 लाख

9. मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान की राशि :-

10 उपदान की राशि का भुगतान.. कोषागार से किया जायेगा ।

11. उपदान की राशि का भुगतान बजट शीर्ष-2071 पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

12. यह स्वीकृति इस शर्त्त के अधीन है कि यदि उपदान की राशि (जैसा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो) भविष्य में उस राशि से अधिक पायी जाय जिसका नियम के अधीन सेवा निवृत्त कर्मी हकदार हो, तो वह अधिक भुगतान की राशि लौटाने को बाध्य होगा । संबंधित सेवा निवृत्त कर्मी से इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न है ।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर ।

महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री................................की अर्हक सेवा....................वर्ष..............महीना...............दिन सम्यक रूप से प्रमाणित कोटि में है तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-622, दिनांक-28.08.2017 के आलोक में.. .... रूपये की राशि मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के रूप में अनुमान्य है । गणना का सत्यापन सम्यक् रूप से किया गया है ।

महालेखाकार, बिहार,
पटना ।